न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 05/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1. सुरेन्द्र परिहार पुत्र राजाराम परिहार जाति–माली निवासी–अजमेरी गेट, बस्सी, नागौर फर्म–दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, बस्सी, अजमेरी गेट, नागौर 2. दुर्गालाल सांखला पुत्र गुमान साखला निवासी–बस्सी मौहल्ला नागौर फर्म–मैसर्स दुर्गालाल दिनेश कुमार, पुरानी धान मण्डी, नागौर 3. रजनीश कुमार गुप्ता, निवासी–टंटा हनुमान की गली, फूटा कोट, करौली फर्म–D-14, IIIrd floor चांदपोल अनाज मंडी, जयपुर 4. नवीन खण्डेलवाल, निवासी–KHA-52 भवानी नगर, वार्ड नं0 68 सीकर रोड, जयपुर फर्म–नवीन डेयरी, निवासी–एफ–117 कालाडेरा, चौमू रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर

आदेश

दिनांक :24.07.2025

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 02-05-12 को मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, बस्सी, अजमेरी गेट, नागौर पर खाद्य पदार्थ घी (श्री रस प्रीमियम गोल्ड ब्रांड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 270 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/368/एक्ट /2012/369 दिनांक 10.05.12 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (श्री रस प्रीमियम गोल्ड ब्रांड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री रस प्रीमियम गोल्ड ब्रांड) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री, गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 19.09.2012 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (श्री रस प्रीमियम गोल्ड ब्रांड) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण सुरेन्द्र परिहार पुत्र राजाराम परिहार जाति–माली निवासी–अजमेरी गेट, बस्सी, नागौर, दुर्गालाल सांखला पुत्र गुमान साखला निवासी–बस्सी मौहल्ला नागौर, रजनीश कुमार गुप्ता, निवासी–टंटा हनुमान की गली, फूटा कोट, करौली तथा नवीन खण्डेलवाल, निवासी–KHA-52 भवानी नगर, वार्ड नं0 68 सीकर रोड, जयपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया। जो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.12.17 के द्वारा स्वीकार कर दिये जाने से अप्रार्थीगण द्वारा माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान) मे प्रकरण सं. 80/2018 सुरेन्द्र परिहार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रस्तुत की। जिसमे माननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान) के आदेश दिनांक 18.02.2025 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। जिस पर प्रकरण पुनः नंबर पर लिया जाकर दोनो पक्षो की सुनवाई की गई।

2. अप्रार्थी संख्या 01, 03 व 04 की ओर से श्री पीयूष सांखला अधिवक्ता ने दिनांक 06.05.2025 को वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री देवेन्द्र राज कल्ला, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 की ओर अपनी बहस में बताया कि घी का अप्रार्थी द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी भी जनमानस को विक्रय नहीं किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा केवल मात्र दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर उक्त परिवाद में मुलजिम बना कर पेश किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर द्वारा अप्रार्थीगण फर्म से कोई नमूना नहीं लिया गया था। कथित घी का अप्रार्थी द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी भी जनमानस को विक्रय नहीं किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा केवल मात्र दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर उक्त परिवाद में मुलजिम बना कर पेश किया गया है। वकील अप्रार्थी संख्या 01 व वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने बताया कि अप्रार्थी तथाकथित घी का निर्माता नहीं है तथा नहीं अप्रार्थी द्वारा इसका विनिर्माण, पैकेजिंग ही किया गया है तथा न ही ऐसी कोई साक्ष्य है जिसमें अप्रार्थी फर्म के द्वारा उक्त घी, को खुले रूप में विक्रय किया गया हो। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुरक्षा अधिनियम की पालना नहीं की गयी है। परिवादी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के प्रावधानों की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

अनदेखी की गयी है। जिसमें धारा 26, 27 व 80डी के अनुसार अप्रार्थी का कथित घी, के प्रति कोई दायित्व नहीं होता है क्योंकि अप्रार्थी द्वारा इसका कोई विनिर्माण या पैकेजिंग नहीं की गई है। परिवादी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 42(3) का भी उल्लंघन किया गया है जिसके अनुसार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त से स्वीकृति हेतु निश्चित समयावधि में स्वीकृति लेनी थी जो नहीं ली गयी। अर्थात विधिक प्रावधानों की परिवादी द्वारा अवहेलना की गयी है जिससे भी अप्रार्थी के विरूद्व परिवाद खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी की केवल मात्र एक दुकान है उक्त घी का विनिर्माता नहीं है। परिवादी द्वारा उक्त घी का नमूना लेते समय न ही कोई स्वतंत्र साक्षी बनाया गया न ही आमजन में से किसी व्यक्ति द्वारा डक्त घी, के मिलावटी होने के बारे में कोई शिकायत ही पेश की गयी थी। इसके बावजूद केवल मात्र विभाग के टारगेट को पूरा करने के उद्देश्य से यह विधि विरूद्व कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्व की गयी है जो खारिज होने योग्य है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक क्रमांक एलएस/368/एक्ट /2012/369 दिनांक 10.05.12 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (श्री रस प्रीमियम गोल्ड ब्रांड) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री रस प्रीमियम गोल्ड ब्रांड) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री, गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 19.09.2012 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (श्री रस प्रीमियम गोल्ड ब्रांड) सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 सुरेन्द्र परिहार पुत्र राजाराम परिहार जाति–माली निवासी–अजमेरी गेट, बस्सी, नागौर पर 20,000/– अक्षरे रूपये बीस हजार, अप्रार्थी संख्या 02 दुर्गालाल सांखला पुत्र गुमान साखला निवासी–बस्सी मौहल्ला नागौर पर 25,000/– अक्षरे रूपये पच्चीस हजार तथा अप्रार्थी संख्या 03 रजनीश कुमार गुप्ता, निवासी–टंटा हनुमान की गली, फूटा कोट, करौली पर 60,000/– अक्षरे रूपये साठ हजार तथा अप्रार्थी संख्या 04 नवीन खण्डेलवाल, निवासी –KHA-52 भवानी नगर, वार्ड नं0 68 सीकर रोड, जयपुर पर 1,00,000/– अक्षरे रूपये एक लाख रूपये, कुल 2,05,000/– अक्षरे रूपये दो लाख पांच हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)